तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 152/2021 अनवान तहसीलदार बाड़मेर बनाम उगमसिंह वगैरा
19.11.2021	पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय बाड़मेर आगौर, राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय मेघवालों की बस्ती (बाड़मेर आगौर) पर पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण ने इस प्रकरण मे जो रास्ता चाहा है वो पुराना कदीमी एवं बारहमासी रास्ता नही है। इस तथ्य कि पूर्व मे जारी मौका रिपोर्ट मे हवाला नही है। प्रार्थी को सूना गया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बाड़मेर को स्वयं मौका निरीक्षण करते हुऐ तीन दिवस मे रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये जाकर पत्रावली तहसीलदार बाड़मेर की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दिनांक 31.12.2021 को पेश हो। (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर
31.12.2021 (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी सरकार पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी की तरफ से किसी प्रकार का वकालत नामा आदि प्रस्तुत नही हुआ। अप्रार्थी को न्यायालय समय मे आवाजे लगाई गई। बावजूद आवाजों के बाद भी अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर द्वारा स्वयं भू0अ0नि0 बाड़मेर एवं पटवारी बाड़मेर आगौर के साथ मे विवादित स्थल का दिनांक 18.12.2021 को मौका निरीक्षण करते हुऐ पत्रांक 3693 दिनांक 31.12.2021 के रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर पुराना, कदीमी व बारहमासी रास्ता है। रास्ता प्रस्तावित करने से कुछ समय पहले ही विप्रार्थी दुर्जनसिंह ने पारिवारिक कलह की वजह से प्रार्थीगण को पेरशान करने की नियत से एक जगह पर रास्ता बन्द कर दिया था। जिस जगह से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उस जगह पर विप्रार्थी दुर्जनसिंह का मकान नहीं आता है। दुर्जनसिंह की पुरानी ढ़ाणी खसरा संख्या 1131 में बनी हुई है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण की है। दुर्जनसिंह का नाम दर्ज नहीं है। दुर्जनसिंह का खसरा संख्या 1131 में नाम दर्ज नहीं होने के उपरान्त हाल ही में भी उनके द्वारा उक्त खसरा में दीवार बनाकर कदीमी रास्ता अवरूद्ध किया गया है तथा विप्रार्थी दुर्जनसिंह का निर्माणाधीन पक्का मकान खसरा संख्या 3981/1135 में बना हुआ है। विप्रार्थी दुर्जनसिंह के पुराने मकान व नये निर्माणाधीन मकान के बीच मौके पर गली

(कदीमी रास्ता) है। जहाँ लाईट के खम्भे लगे हुए है इस रास्ते को एक जगह खसरा संख्या 1131 में विप्रार्थी दुर्जनसिंह ने जानबूझकर आड़ी दिवार बनाकर रास्ता बन्द कर दिया है जो न्यायोचित नहीं है। प्रार्थीगण को आने जाने हेतु अन्य कोई रेकर्डेउ कटाण रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को आवागमन हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः रास्ता रेकर्ड में दर्ज करवाने के उपरान्त मौके पर खुला करवाया जाना न्यायाचित है। अतः निवेदन हैं कि न्यायालय में मौजा बाड़मेर आगौर के खसरा नंबर 1131, 1132, 1133 व 3981/1135 में से पूर्व में प्रस्तावित कदीमी रास्ते को रेकर्ड में दर्ज कवाने की अभिशंषा सहित वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

अतः तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा बाड़मेर आगौर पटवारी हल्का बाड़मेर आगौर तहसील एवं जिला बाड़मेर की उपरोक्त वर्णित भूमि स्थाई रास्ते के रूप में जो सलंग्न नक्शा में गुलाबी रंग से दर्शाई गई है को सम्बधित खातेदार के खाते मे राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसर दर्ज कर नक्शा में तरमीम करावें। तहसीलदार बाड़मेर को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण मे रास्ते का खुलवाने की कार्यवाही करावें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश सरे ईजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर